भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
30.07.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 1673 का उत्तर

रेल किराए में वृद्धि और यात्रियों के लिए सुविधाएँ

1673. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:
श्री कीर्ति आज़ाद:
श्री पुट्टा महेश कुमार:
श्री कल्याण बनर्जी:
श्री के. राधाकृष्णन:
श्री राजेश वर्मा:
श्री असादुद्दीन ओवैसी:
श्री बैन्नी बेहनन:
श्री नरेश गणपत म्हस्के:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्रीमती शांभवी:
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) **क्या सरकार ने हाल ही में टिकट किराया, आरक्षण शुल्क, प्लेटफ़ॉर्म टिकट, पार्सल दरें और अन्य सेवा शुल्क सहित विभिन्न शुल्कों में वृद्धि की है और यदि हाँ, तो प्रत्येक प्रकार के शुल्क का ब्यौरा क्या है, साथ ही इसके कार्यान्वयन की तिथि क्या है;**

(ख) **विभिन्न जोनों में यात्री टिकट किराए (स्लीपर, 3एसी, 2एसी और सामान्य श्रेणी के लिए) में औसतन कितनी वृद्धि हुई है;**

(ग) **पाँच वर्ष के अंतराल के बाद किराया वृद्धि करने के क्या कारण हैं और विशेषकर 501 किमी और 3000 किमी के बीच की दूरी के लिए संशोधित किराया स्लैब निर्धारित करते समय किन कारकों पर विचार किया गया;**

(घ) **इससे पहले हुए अंतिम किराया संशोधन का ब्यौरा क्या है;**

(ङ) इस किराया वृद्धि से प्रतिवर्ष कितना अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होना अपेक्षित है;

(च) क्या सरकार के पास बढ़े हुए राजस्व का उपयोग करने के लिए कोई विशिष्ट योजना है और यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है;

(छ) सरकार द्वारा यह किस प्रकार सुनिश्चित किया जाएगा कि बढ़े हुए राजस्व से यात्रियों के लिए रेल यात्रा विशेषकर सुरक्षा, समय का पालन, आराम और सेवाओं की उपलब्धता और सुगम हो;

(ज) किराया लागत में वृद्धि के बदले यात्री सेवाओं, परिचालन स्थिरता और आराम में सुधार के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और मूल्य वृद्धि का कितना प्रतिशत यात्री सुविधाओं के लिए उपयोग किया जाएगा;

(झ) क्या सरकार के पास जनता की प्रतिक्रिया या आर्थिक कठिनाई के दृष्टिगत बढ़े हुए शुल्कों की समीक्षा करने या उन्हें युक्तिसंगत बनाने की कोई योजना है;

(ञ) क्या किराया संशोधन से रियायती किराए, वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट और नि:शुल्क यात्रा श्रेणियां प्रभावित होंगी और यदि हां, तो नई संरचना के अंतर्गत यथावत रखी गई किसी भी छूट का ब्यौरा क्या है;

(ट) क्या सरकार को पता है कि किराया वृद्धि से दैनिक छात्रों और विशेषकर स्लीपर और सामान्य श्रेणी में यात्रा करने वाले छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ठ) क्या सरकार का विशेषकर किराया वृद्धि के कारण बढ़े हुए बोझ को देखते हुए वरिष्ठ नागरिकों और रोगियों जैसी असुरक्षित श्रेणियों के लिए छूट बहाल करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ठ): भारतीय रेल 720 करोड़ से अधिक यात्रियों को किफायती परिवहन सेवा प्रदान करती है। भारतीय रेल के किराए विश्व के सबसे कम कराए में शामिल है, यहां तक कि पड़ोसी देशों की तुलना में भी यह कम हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 में यात्रियों द्वारा की गई यात्रा पर दी गई कुल अनंतिम अनुमानित सब्सिडी राशि 60,466 करोड़ रुपए है। यह यात्रियों द्वारा की गई यात्रा की लागत पर

45% सब्सिडी के बराबर है। अन्य शब्दों में, यदि सेवा प्रदान करने की लागत 100 रुपये है, तो टिकट की कीमत केवल 55 रुपये है। यह सब्सिडी सभी यात्रियों को प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, इस सब्सिडी राशि से अतिरिक्त रियायतें दिव्यांगजनों की कई कोटियों, रोगियों की 11 कोटियों और छात्रों की 8 कोटियों के लिए जारी हैं।

5 वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद, 01 जुलाई 2025 से किरायों को युक्तिसंगत बनाया गया है। किरायों में वृद्धि बहुत कम है, जो प्रीमियम श्रेणियों के लिए आधे पैसे प्रति कि.मी. से लेकर दो पैसे प्रति कि.मी. तक है।

किराया संशोधन का विवरण इस प्रकार है:

i) सामान्य श्रेणी के किराए में 500 किमी तक कोई वृद्धि नहीं, और उसके बाद प्रति यात्री प्रति किलोमीटर किराए में आधे पैसे की वृद्धि।
ii) शयनयान श्रेणी साधारण और प्रथम श्रेणी साधारण में प्रति यात्री प्रति किलोमीटर किराये में आधे पैसे की वृद्धि।
iii) मेल एक्सप्रेस में गैर-वातानुकूलित श्रेणियों में प्रति यात्री प्रति किलोमीटर 01 पैसे की वृद्धि और
iv) आरक्षित वातानुकूलित श्रेणियों में प्रति यात्री प्रति किलोमीटर 02 पैसे की वृद्धि।

निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों की वहन सामर्थ्य को बनाए रखने के लिए, एमएसटी और उपनगरीय यात्रा के किरायों में संशोधन नहीं किया गया है।

इसके अलावा, किराए में संशोधन का कुल सब्सिडी राशि पर प्रभाव पड़ने की संभावना नगण्य है क्योंकि यह संशोधन प्रति किलोमीटर यात्रा पर केवल आधे पैसे से लेकर 2 पैसे तक है।

अनुमान है कि आधे से भी कम यात्राओं में किराए में मामूली वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए, सामान्य श्रेणी के सवारी डिब्बे में कम आय वाले यात्री के लिए, 500 किलोमीटर की यात्रा के लिए किराए में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

इससे पहले, आधार किराये में किराया युक्तिकरण 01.01.2020 को किया गया था, जिसमें सामान्य (गैर-वातानुकूलित) अनुपनगरीय के किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर की वृद्धि की गई थी; मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के गैर-वातानुकूलित श्रेणियों के लिए 2 पैसे प्रति किलोमीटर और वातानुकूलित श्रेणियों के लिए 4 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि की गई थी। उपनगरीय किराए और सीज़न टिकटों में कोई वृद्धि नहीं की गई थी।

यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा विभिन्न पहल की गई हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- **अमृत भारत स्टेशन योजना जैसी योजनाओं के तहत स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का उन्नयन।**
- **यात्री अनुभव, स्वच्छता और ऑन-बोर्ड सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए वंदे भारत, गैर-वातानुकूलित अमृत भारत गाड़ियां और नमो भारत रैपिड गाड़ी आदि जैसी आधुनिक रेलगाड़ियों की शुरूआत।**
- **रेल मदद के जरिए बेहतर मॉनिटरिंग और फीडबैक तंत्र ।**
- **रेल वन ऐप, यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप आदि जैसी डिजिटल पहलों का कार्यान्वयन।**

उपरोक्त उपायों के परिणामस्वरूप यात्री संतुष्टि में वृद्धि हुई है। परिचालनिक दक्षता, आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए, भारतीय रेलवे का लक्ष्य किफायती यात्री किराया बनाए रखते हुए, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है।

*****